Protection of crops from 'Nilgaye'

@3578. SHRI RAM GOPAL YADAV :
SHRI ISH DUTT YADAV :

Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government are aware that a number of 'Nilgaye' are grazing/ruining the crops in Eastern Uttar Pradesh and Bihar, particularly on the bank of river areas and farmers are very much afraid of it.

(b) if so, whether any action taken/ propose to be taken by Government get rid of 'Nilgaye' and to protect the crops from 'Nilgaye' in affected areas; and

(c) if so, the details of such action to be taken in view of the fact that killing of 'Nilgaye' is a legal crime ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) to (c) The Government is aware that some Nilgaye population is found in Eastern Uttar Pradesh and in Bihar particularly on the banks of rivers. No report of crop damage has been received from Government of Bihar. A report was however received from the U.P. Government regarding crop damage by Nilgaye in certain areas. It has been clarified that as per the provisions of Section 11(i)(b) of the Wild Life (Protection) Act, if the Chief Wildlife Warden or the authorised officer is satisfied that the animals listed in Schedule II, III (which includes Nilgaye) and IV have become dangerous to human life and property (including standing crops on any land) then they may, by on an order in writing stating the reasons thereof may permit any person to hunt such animals or get such animals hunted. The State Government has been advised to tackle the situation accordingly as and when they arise.

@ Previously Unstarred Question 3127, Transferred from 19th March, 1993.

मध्य प्रदेश में विद्युत पारेषण के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र

3579. **श्री दिलीप सिंह जूदेव** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा खरसिया से पत्थल गांव (जिला रायगढ़) के बीच 32 के० वी० विद्युत टावर लाइन बिछाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का प्रस्ताव कब भेजा गया और उस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उस प्रस्ताव को कब और किस प्रकार की आपत्तियां लगाकर वापस किया गया और मध्य प्रदेश सरकार ने कब और किस प्रकार इनका निराकरण किया;

(ग) 28 फरवरी, 1993 की स्थिति के अनुसार स्पष्टीकरणों/आपत्तियों का

(घ) [illegible] सरकार के पास ऐसे कितने प्रस्ताव "अनापत्ति प्रमाण-पत्र" जारी करने के लिए लम्बित हैं और उनकी प्रकृति क्या है तथा वे कब से लम्बित हैं और इन प्रस्तावों को स्वीकृति दिए जाने के मामले में क्या प्रगति की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) रायगढ़ जिले में 132 किलोवाट रायगढ़-पत्थलगांव ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 16.355 है० वन भूमि दिए जाने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य सरकार के दिनांक 5-7-91 के पत्र के माध्यम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

(ख) इस मंत्रालय के दिनांक 23-12-91 के पत्र सं० 8-153/91-एफ० सी० के द्वारा राज्य सरकार से क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उतनी ही वनेतर भूमि का ब्यौरा भेजने का अनुरोध किया गया था। इस पत्र के उत्तर में, राज्य सरकार ने दिनांक 8.1.93 के अपने पत्र के द्वारा अवक्रामित वन क्षेत्र से दुगुने योग में क्षतिपूरक वनरोपण करने की एक स्कीम भेजी है ।

(ग) सारी अपेक्षित सूचना प्राप्त हो गई है और राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर राज्य सलाहकार दल, जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि और क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल थे द्वारा 4-3-93 को विचार-विमर्श किया गया ।

(घ) 28-2-93 की स्थिति के अनुसार ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए वन भूमि दिए जाने के मध्य प्रदेश सरकार के 13 प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं । उपर्युक्त प्रस्तावों में से 12 प्रस्ताव 20 है० तक वन भूमि दिये जाने से संबंधित हैं, जिनकी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल द्वारा जांच/निर्णय किया जाना है और 1 प्रस्ताव 20 है० से अधिक वन भूमि देने का है, जिसके लिए क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, भोपाल से स्थल निरीक्षण करने को कहा गया है ।

Concept of conservation of Forests

3580. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether it is a fact that women are more inclined towards the concept of conservation of forests;

(b) whether it is also a fact that Van Panchayats manned by women in the Himalayan region have proved more successful than other Panchayats in the conservation of forests;

(c) if so, whether Government propose to issue necessary guidelines to encourage women's participation in this matter; and

(d) if so, when ?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH) : (a) It is generally so believed as women have to bear the brunt of hardships caused by deforestation.

(b) No specific study has been conducted by the Government in this regard.

(c) and (d) The National Forest Policy, 1988 envisages involvement of women in achieving its various objectives. Further, in response to the guidelines issued by the Government of India in June 1990 on people's involvement in the development and protection of forests, several State Governments have issued resolutions enlisting, among other things, active participation of women in planning, decision making and implementation of the above programmes.

रणथम्भौर बाघ परियोजना

3581. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रणथम्भौर बाघ परियोजना क्षेत्र में बाघों और अन्य जंगली जानवरों का शिकार किया गया है;

(ख) इस क्षेत्र में कितने बाघों और अन्य जंगली जानवरों का शिकार किया गया और उनका ब्यौरा क्या है

(ग) क्या इन वन्य जीवों की खाल बेचने वाले किसी गिरोह को पकड़ा गया है;